आधार अधिनियम, 2016

आधार अधिनियम क्या है?

आधार अधिनियम, 2016, भारत के निवासियों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पारित एक व्यापक कानून है, जिसे आधार के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा से जुड़ी एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सरकारी सेवाओं और सब्सिडी की कुशल डिलीवरी की सुविधा मिल सके।

कानूनी ढांचा:

आधार अधिनियम भारत के निवासियों के लिए आधार संख्या जारी करने, प्रमाणीकरण और उपयोग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह आधार कार्यक्रम को लागू करने और प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकरण के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना करता है।

प्रमुख प्रावधान:

आधार नंबर जारी करना:

आधार अधिनियम यूआईडीएआई को भारत के निवासियों को उनकी बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय जानकारी के आधार पर आधार नंबर जारी करने के लिए अधिकृत करता है। प्रत्येक आधार संख्या अद्वितीय है और व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं और सब्सिडी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है।

प्रमाणीकरण तंत्र:

यह अधिनियम आधार संख्या के प्रमाणीकरण के लिए तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है, जिससे व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने, बैंक खाते खोलने और अन्य लेनदेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी पहचान सत्यापित करने की अनुमित मिलती है। आधार प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक डेटा जैसे पर निर्भर करता है

उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन, साथ ही जनसांख्यिकीय जानकारी।

डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:

आधार अधिनियम में आधार से संबंधित जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के प्रावधान शामिल हैं। यह कड़े डेटा सुरक्षा उपाय स्थापित करता है, जिसमें एन्क्रिप्शन, प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल और तीसरे पक्ष के साथ आधार डेटा साझा करने पर प्रतिबंध शामिल हैं। यह अधिनियम व्यक्तियों को अपनी आधार जानकारी तक पहुंचने और उसे सही करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

स्वैच्छिक प्रकृति:

जबिक आधार अधिनियम भारत के निवासियों को सरकारी सेवाओं और सब्सिडी का कुशलतापूर्वक लाभ उठाने के लिए आधार संख्या के लिए नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, नामांकन स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। यह अधिनियम आधार की कमी के आधार पर भेदभाव या सेवाओं से इनकार करने पर रोक लगाता है

संख्या, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तियों के पास आधार कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प है।

प्रभाव:

आधार अधिनियम ने भारत में शासन, वित्तीय समावेशन और सेवा वितरण पर एक अद्वितीय प्रभाव डाला है निवासियों के लिए पहचान प्रणाली. आधार ने सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण, कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्यीकरण में सुधार और सरकारी योजनाओं में रिसाव और अक्षमताओं को कम करने की सुविधा प्रदान की है।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

इसके लाभों के बावजूद, आधार अधिनियम को गोपनीयता चिंताओं, डेटा सुरक्षा और आधार डेटा के संभावित दुरुपयोग से संबंधित आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह अधिनियम न्यायिक जांच के अधीन है, अदालतें व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करने और कुछ सेवाओं के लिए आधार के अनिवार्य उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए फैसले जारी कर रही हैं।

निष्कर्ष:

आधार अधिनियम, 2016, एक ऐतिहासिक पहल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य भारत के निवासियों को सरकारी सेवाओं और सब्सिडी तक कुशलतापूर्वक पहुंचने के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करना है। जबिक आधार ने सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में योगदान दिया है, गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने और आधार डेटा के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है।